



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-2 पटना-01

पत्रांक:-2:05:206:1:2014 पार्ट 2 11856 परिवहन/पटना, दिनांक- 22/11/17

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा० प्र० से०
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:- निर्धारित आवश्यकता और कार्यरत परिवहन अभिकर्ता से उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध परिवहन अभिकर्ता (मुख्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी) की नियुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- निगम मुख्यालय का पत्रांक 2175 दिनांक 04.03.17, पत्रांक 3253 दिनांक 06.04.17 एवं पत्रांक 8478 दिनांक 23.08.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों से आपके जिला हेतु परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ता (डी०एस०डी०) के लिए निर्धारित आवश्यकता, उसके विरुद्ध कार्यरत एवं रिक्ति की जिलावार सूची संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया था कि रिक्ति के विरुद्ध परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया एक माह के अन्दर हर हाल में पूरी कर ली जाय ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित किया जा सके और खाद्यान्नों को व्ययगत होने से बचाया जा सके।


अद्यतन समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अभी भी कई जिलों में मुख्य परिवहन अभिकर्ता की रिक्तियाँ रहने के बावजूद इसमें निविदा नहीं निर्गत की जा रही है- यथा मोतिहारी जहाँ 5 की आवश्यकता के विरुद्ध मात्र 3 परिवहन अभिकर्ता कार्यरत हैं एवं 2 रिक्त है। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर जिले में 2, पूर्णियाँ में 2, गया में 2 रिक्तियाँ हैं। मधुबनी, नालंदा, समस्तीपुर, मोतिहारी, औरंगाबाद, नवादा जिलों में परिवहन अभिकर्ता की कमी के कारण खाद्यान्न को रैक से भेजने एवं FCI से उठाव में बिलंब होने के कारण खाद्यान्न का प्रेषण/वितरण में बिलंब हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि परिवहन अभिकर्ताओं की कमी के कारण खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण में विलम्ब के कारण फूड कैलेण्डर लागू होने में कठिनाई होती है एवं कई जिलों में खाद्यान्न आगामी महीने में भेजा जाता है जो वांछनीय नहीं है।

इस संबंध में पुनः अनुरोध है कि रिक्ति के विरुद्ध परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाय ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित किया जा सके और खाद्यान्नों को व्ययगत होने से बचाया जा सके।

अनु०-परिवहन अभिकर्ता की रिक्ति की सूची।

विश्वासभाजन


(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

जिलों में कार्यरत परिवहन अभिकर्ता से सम्बन्धित अद्यतन स्थिति दिनांक 11.11.2017

क्र०	जिला	परिवहन अभिकर्ता (मुख्य)			परिवहन अभिकर्ता (डोर स्टेप डिलेवरी)		
		परिवहन अभिकर्ता की आवश्यकता	वर्तमान में नियुक्त एवं कार्यरत परिवहन अभिकर्ताओं की संख्या	रिक्ति	परिवहन अभिकर्ता की आवश्यकता	वर्तमान में नियुक्त एवं कार्यरत परिवहन अभिकर्ताओं की संख्या	रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पटना	3	5	—	13	5	8
2.	नालन्दा	3	3	—	6	5	1
3.	भोजपुर	3	2	1	5	6	—
4.	औरंगाबाद	3	2	1	5	3	2
5.	नवादा	2	1	1	4	2	2
6.	सारण	3	2	1	7	6	1
7.	गोपालगंज	2	2	—	5	1	4
8.	मुजफ्फरपुर	4	2	2	10	4	6
9.	बेतिया	4	3	1	8	3	5
10.	मोतिहारी	5	3	2	11	7	4
11.	सहरसा	2	2	—	4	3	1
12.	मधेपुरा	2	1	1	5	3	2
13.	पूर्णिया	3	1	2	7	4	3
14.	अररिया	2	1	1	7	1	6
15.	कटिहार	2	1	1	7	1	6
16.	किशनगंज	1	1	—	4	—	4
17.	खगड़िया	2	1	1	4	2	2
18.	बाँका	2	2	—	4	2	2
19.	बक्सर	2	2	—	2	3	—
20.	रोहतास	4	4	—	5	4	1
21.	कैमुर	2	5	—	3	11	—
22.	गया	3	1	2	8	5	3
23.	जहानाबाद	1	1	—	2	3	—
24.	अरवल	1	1	—	1	1	—
25.	सिवान	2	2	—	6	6	—
26.	वैशाली	2	2	—	8	1	7
27.	सीतामढ़ी	3	3	—	8	6	2
28.	शिवहर	1	1	—	1	2	—
29.	दरभंगा	3	4	—	9	9	—
30.	मधुबनी	4	3	1	10	7	3
31.	समस्तीपुर	3	2	1	10	5	5
32.	सुपौल	2	2	—	5	2	3
33.	मुंगेर	1	—	1	3	2	1
34.	जमुई	1	1	—	4	3	1
35.	लखीसराय	1	1	—	2	1	1
36.	शेखपुरा	1	1	—	1	2	—
37.	बेगूसराय	2	3	—	7	5	2
38.	भागलपुर	2	2	—	6	3	3
	योग	89	75	21	217	138	87